न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/116/2022	2022/155	11/04/2022	06.06.2022

1- UCO BANK, HEAD OFFICE 10, B T M SARANI, KOLKATA WEST BENGAL INDIA AND A BRANCH OFFICE AMONGST OTHER PLACES AT ASSET MANAGEMENT BRANCH, GROUND FLOOR NO. 5, SANSAD MARG, NEW DELHI.

—प्रार्थी

बनाम

1- M/s BHANSALI CABLES & CONDUCTORS Pvt. Ltd.
Add. B 816, RIICO Industrial Area Phase-2, Bhiwadi District Alwar, Rajasthan 301019 (Borrower)

2- M/s BHANSALI UDYOG Pvt. Ltd.
Add. GB-17 Shivaji Encalve Najafgarh Road New Delhi-110027 (Borrower)

3- Mr. BALWANT SINGH JAIN
Add-GB-17 Shivaji Encalve Najafgarh Road New Delhi-110027 (Director/Guarantor)

4- Mr. DEEPAK JAIN
Add-GB-17 Shivaji Encalve Najafgarh Road New Delhi-110027 (Director/Guarantor)

5- Mr. VIKAS JAIN
Add. GB-17 Shivaji Enclave Najafgarh Road New Delhi-110027 (Guarantor)

—अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 21,75,54,782/—रूपये (Rupees Twenty One Crores Seventy Five Lakh Fifty Four Thousand Seven Hundred Eighty Two Rupee Only) M/s Bhansali Cables & Con. Pvt. Ltd. And 62,54,425.00 (Rupees Sixty Two Lakh Fifty Four Thousand Four Hundred Twenty Five Rupee Only) M/s Bhansali Udyog Pvt. Ltd. को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 31.05.2021 को Total Aggregating Loan Amount Rs. (ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज) सहित कुल 22,38,09,207/—रूपये (Rupees Twenty Two Crores Thirty Eight Lakh Nine Thousand Two Hundred Seven Rupee Only) है, की अदायगी नही की गई। तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति Plot No. B-816 RIICO Industrial Area, Phase-2, Bhiwadi, District Alwar (Rajasthan) 301019, Measuring Area Sq. Metres. (East 30 Feet Road, West Oher Property, North 80 feet Road, South Other Property) को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त Plot No. B-816 RIICO Industrial Area, Phase-2, Bhiwadi, District Alwar

जिला कलक्टर, अलवर

(Rajasthan) 301019, Measuring Area Sq. Metres. (East 30 Feet Road, West Oher Property, North 80 feet Road, South Other Property) को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते है:–

1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार तिजारा, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर